



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर

दिनांक 06.10.2024

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग के दौरान मंडावर तिराहा पर अभियुक्त अशरफ पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम कानूनगोयान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 382/24 धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस बनाम अशरफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने यह मोटरसाइकिल हापुड के पिलखवा से चोरी की थी । उपरोक्त घटना के संबंध में थाना पिलखवा पर मु0अ0सं0 234/19 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अशरफ पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम कानूनगौयान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण –

चोरी की एक मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी सहदेव सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 06.10.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 37 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 37 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नांगल	उस्मान पुत्र बूंदू निवासी मोहल्ला कैथवाड़ा थाना नांगल जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	आरिफ हुसैन पुत्र शाहिद हुसैन निवासी मौ० हवेलीतला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3	बढ़ापुर	भूदेव पुत्र मुखराम नि० बेनीपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
4	बढ़ापुर	चन्द्रभान पुत्र कालू नि० हमजापुर कठैर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
5	बढ़ापुर	नरेन्द्र पुत्र बिशना नि० इस्लामाबाद थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
6	बढ़ापुर	प्रेम कुमार पुत्र रामकिशन नि० आलमपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
7	बढ़ापुर	तालिब पुत्र सत्तार नि० गांवड़ी (शाहलीपुर कोटरा) थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
8	बढ़ापुर	जावेद उर्फ डावला पुत्र गफूर नि० मौ० सत्तियान कस्बा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
9	नगीना	फहीम अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम मो० मीर की सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर
10	नगीना	राशिद पुत्र इमामूदीन निवासी ग्राम नैनपुरा सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर
11	मंडावर	छोटू पुत्र पल्ली निवासी ग्राम दयालवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर
12	मंडावर	सोनू पुत्र रतिराम निवासी मौ० रावली बृह्मपुरी थाना मंडावर जनपद बिजनौर
13	मंडावर	बिजेन्द्र पुत्र पालेराम निवासी निवासी तारापुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ
14	चांदपुर	देवेन्द्र पुत्र रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम खेरपुर जागीर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
15	धामपुर	सलीम पुत्र मुमताजुल निवासी ग्राम सेढा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
16	शिवाला कलां	जुल्फीकार पुत्र साहबुद्दीन नि० ग्राम व थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर
17	स्योहारा	सुधीर पुत्र मंगत सिंह नि० ग्राम किवाड थाना स्योहारा जिला बिजनौर
18	स्योहारा	शुएव पुत्र यामीन नि० अलादीनपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर
19	स्योहारा	सुरेश चन्द्र पुत्र मल्लू सिंह नि० ग्राम रामपुर कृष्णा थाना स्योहारा जिला बिजनौर
20	कोतवाली देहात	जाकिर पुत्र जमालू निवासी ग्राम बेगमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
21	शेरकोट	इसरार्ईल पुत्र ईद अली नि० ग्राम भनौटी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
22	रेहड	सुरेन्द्र कुमार पुत्र अनूप सिंह नि० ग्राम पुक्खेवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर

23	अफजलगढ	मिडू पुत्र दिलीप सिंह निवासी ग्राम न्यायदरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
24	किरतपुर	जाहिद पुत्र अली हसन निवासी ग्राम शाहपुरा रतन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
25	कोतवाली नगर	बोबी पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी मौ0 जाटान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
26	कोतवाली नगर	मनोज पुत्र स्व0 मिथलेश शर्मा नि0 मौ0 जाटान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
27	कोतवाली नगर	मेहराज पुत्र राशिद नि0 रोडवेज वर्कशाप के सामने वाली कालोनी थाना को0 नगर जनपद बिजनौर
28	कोतवाली नगर	बिडू पुत्र कारमात अली नि0 रामपुर बकली थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
29	कोतवाली नगर	साहिद पुत्र हनिफ निवासी फरिदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
30	कोतवाली नगर	इस्माइल पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
31	कोतवाली नगर	मन्जीत पुत्र सत्यपाल नि0 नया गांव थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
32	कोतवाली नगर	जाहिद पुत्र खुर्शिद निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
33	कोतवाली नगर	अंकुर तायल पुत्र प्रभात कुमार निवासी मौ0 साहित्य विहार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
34	कोतवाली नगर	दिलशाद पुत्र रसीद निवासी अमीरपुर सुधा उर्फ जन्दरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
35	कोतवाली नगर	फरमान पुत्र निसार कुरैशी निवासी मौ0 चाहशीरी बी 21 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
36	चांदपुर	सचिन पुत्र देवेन्द्र अग्रवाल निवासी मौ0 चिम्मन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
37	चांदपुर	सोनू पुत्र देवेन्द्र अग्रवाल निवासी मौ0 चिम्मन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



थाना नांगल



थाना नजीबाबाद



थाना रेहड



थाना बढापुर

थाना अफजलगढ



थाना नगीना



थाना नगीना



थाना मंडावर



थाना चांदपुर



थाना धामपुर



थाना शिवाला कलां



थाना स्योहारा



थाना स्योहारा



थाना स्योहारा



थाना कोतवाली देहात



थाना शेरकोट



थाना किरतपुर



थाना कोतवाली नगर



थाना कोतवाली नगर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 06.10.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 470/24 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 05.10.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 04.10.2024 को शाम के समय जब वह दूध लेकर वापस अपने घर आ रही थी तभी मोटरसाइकिल पर सवार 03 अज्ञात अभियुक्तों ने वादिनी के मोबाइल को छपट्टा मारकर छीन लिया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 470/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 03 अभियुक्तगणों 1- अंकुर प्रजापति पुत्र जयकुमार निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2- विशाल सैनी पुत्र रामकुमार सैनी निवासी पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3- विश्वास शर्मा उर्फ वीसू पुत्र स्व0 संजय शर्मा निवासी मौ0 बाडवान थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही -

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 470/24 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1- अंकुर प्रजापति पुत्र जयकुमार निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2- विशाल सैनी पुत्र रामकुमार सैनी निवासी पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3- विश्वास शर्मा उर्फ वीसू पुत्र स्व0 संजय शर्मा निवासी मौ0 बाडवान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक मोबाइल बरामद किया गया । अभियोग में धारा 317(2)/347(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- अंकुर प्रजापति पुत्र जयकुमार निवासी मौ० पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- विशाल सैनी पुत्र रामकुमार सैनी निवासी पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- विश्वास शर्मा उर्फ वीसू पुत्र स्व० संजय शर्मा नि० मौ० बाडवान थाना धामपुर बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

एक मोबाइल फोन (संबंधित मु०अ०सं० 470/24)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुर उपरोक्त –

- 1- मु०अ०सं० 370/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु०अ०सं० 470/24 धारा 304(2)/317(2)/347(1) बीएनएस थाना धामपुर बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल उपरोक्त –

- 1- मु०अ०सं० 470/24 धारा 304(2)/317(2)/347(1) बीएनएस थाना धामपुर बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विश्वास उपरोक्त –

1. मु०अ०सं० 61/2020 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु०अ०सं० 260/2020 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु०अ०सं० 353/2020 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु०अ०सं० 470/24 धारा 304(2)/317(2)/347(1) बीएनएस थाना धामपुर बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ०नि० राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- उ०नि० अन्नु कुमार थाना धामपुर जनपदज बिजनौर ।
- 3- मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी अनिल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 6- आरक्षी खुशीराम थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 06.10.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 315/24 धारा 80/238 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.दिनेश पुत्र सुरज 2.पुष्पा पत्नी सुरज 3.ब्रिजेश पुत्र सुरज 4.सुरज समस्त निवासीगण ग्राम दुलीचन्दपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर, वादिनी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित कर मारपीट किया करते थे । दिनांक 01.10.2024 को अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री की हत्या कर बिना बतायें उसका अंतिम संस्कार कर दिया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 315/24 धारा 80/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 06.10.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र सुरज सिंह व ब्रिजेश पुत्र सुरज सिंह निवासीगण ग्राम दुलीचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1.दिनेश कुमार पुत्र सुरज सिंह निवासी ग्राम दुलीचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.ब्रिजेश पुत्र सुरज सिंह निवासी ग्राम दुलीचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.कां0 118 प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.कां0 127 अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना रेहड

दिनांक 06.10.2024

थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र मेघा सिंह निवासी ग्राम माधौवाला टांडा थाना रेहड जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राजेन्द्र पुत्र मेघा सिंह निवासी ग्राम माधोवाला टांडा थाना रेहड जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी रामप्रकाश शर्मा थाना रेहड जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी अम्बुल पवांर थाना रेहड जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हीमपुर दीपा

दिनांक-06.10.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.10.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त महमूद पुत्र महबूब निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 147/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1. महमूद पुत्र महबूब निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास महमूब उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं- 49/20 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं- 57/20 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं- 58/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं- 80/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं- 147/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. का0 2344 कुश थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. का0 2441 अजयपाल थाना हीमपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा

दिनांक 06.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 477/24 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4
पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.10.2024 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुहैल पुत्र अहमद छोटा निवासी मौ0 शेखान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने वादी की बेटी के साथ गलत काम किया । इसकी शिकायत सुहैल के परिजनों से की गयी तो उनके द्वारा वादी के साथ गाली गलौच की गयी । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 477/24 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम सुहैल, रिहाना, आरिफ व राशिद पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 477/24 धारा 376/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त सुहैल पुत्र मौ0 अहमद उर्फ छोटा निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुहैल पुत्र मौ0 अहमद उर्फ छोटा निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- श्री अवनीत मान, थाना प्रभारी स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी विवेक कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी पंकज कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक 06.10.2024

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212/24 धारा 70(2) बीएनएस व 5G/6
पॉक्सो अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.10.2024 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 03.10.2024 को वादी की भतीजी के साथ अभियुक्त 1- संकीत पुत्र खानचन्द चौहान 2- निर्देश पुत्र पुरन प्रजापती द्वारा गलत काम किया गया । इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 212/24 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5G/6 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212/24 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5G/6 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त 1- संकीत पुत्र खानचन्द चौहान 2- निर्देश पुत्र पुरन प्रजापती को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- संकीत पुत्र खानचन्द चौहान निवासी थाना क्षेत्र नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- निर्देश पुत्र पुरन प्रजापती निवासी थाना क्षेत्र नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- श्री संजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 संदीप कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- मुख्य आरक्षी रविन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी आरक्षी धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चाँदपुर

दिनांक – 06.10.2024

थाना चाँदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 439/24 धारा 61(2)/123/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.08.2024 को वादी ने थाना चाँदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 21.07.2024 को अभियुक्तगण 1.दीपांशु पुत्र लोकेश 2.सिंटू पुत्र मुन्ने 3.लोकेश पुत्र रेवा निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद द्वारा वादी की पुत्रवधु 4.पुष्पा पत्नी अनिल निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा षडयन्त्र के तहत नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया तथा घर पर रखे आभूषण एवं नगदी ले गये तथा शिकायत करने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 439/2024 धारा 61(2)/305/123/352/351(3) बीएनएस बनाम दीपांशु आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना में साक्ष्यो के अभाव में धारा 305 बीएनएस का लोप किया गया ।



कार्यवाही –

थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त लोकेश पुत्र रेवा नि0 ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में पूर्व में ही 1.पुष्पा पत्नी अनिल 2.दीपांशु पुत्र लोकेश 3.सिंटू पुत्र मुन्ने निवासीगण ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.लोकेश पुत्र रेवा निवासी ग्राम हैजरपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 505 मंजीत सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 06.10.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 862/24 धारा 406/506/420/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 09.09.2024 को वादिनी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मंजीत पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम नया गांव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर रुपये हडप लेना तथा अभियुक्तगण मंजीत के परिजनों द्वारा वादिनी व वादिनी के परिजनों को जान से मारने की धमकी देना । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 862/24 धारा 406/506/420 भादवि बनाम मंजीत आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही -

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 862/24 धारा 406/506/420/376 भादवि में वांछित अभियुक्त मंजीत पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम नयागांव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मंजीत पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम नयागांव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- व0उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी अक्षय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी विपिन कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।